

प्रारंभ - 14:05 बजे ।

Witness No. **23** for अभियोजन साक्ष्य Deposition taken

the **12-04-2024** day of शुक्रवार Witness's **52 वर्ष**
apparent age

State on affirmation शपथपूर्वक my name is दुःखी राम

S/of स्व० सुकलाल मलिक occupation सफाई कर्मचारी
addres तहसील भाठा, कटघोरा, जिला-कोरबा छ०ग० ।

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री अशोक आनंद ए०पी०पी० वास्ते अभियोजन

1. मैं थाना कटघोरा में सफाई कर्मचारी हूँ । पुलिसवाले मुझे थाना में हस्ताक्षर करवाये थे । पुलिसवाले डॉ० बी० आर० रात्रे से क्या सामान जप्त किये थे मुझे नहीं मालूम । साक्षी को जप्ती पत्रक प्र०पी० 19 दिखाये जाने पर उसने द से द भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है ।

नोट-इस स्तर पर अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर उससे सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही गई, विचार बाद अनुमति दी गई ।

2. मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूँ । हस्ताक्षर कर लेता हूँ । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि दिनांक 16-08-2022 को डॉ० बी० आर० रात्रे के द्वारा आरोपी अमन कुमार दास के शरीर से 05 एम०एल० रक्त निकालकर नमूना लिये थे । जिसकी जप्ती थाना प्रभारी के द्वारा मेरे समक्ष की गई थी । यह कहना गलत है कि जप्ती की कार्यवाही मेरे समक्ष हुई है । यह कहना गलत है कि आरोपी को बचाने के लिये आज मैं झूठा कथन कर रहा हूँ ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री निजामुद्दीन अंसारी अधिवक्ता वास्ते आरोपी

3. यह कहना सही है कि जब मैं जप्तीपत्रक प्र०पी० 19 में हस्ताक्षर में किया था तब वह कोरा था ।

गवाह को बयान पढ़कर सुनाया गया ।
गवाह ने सही होना स्वीकार किया ।

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया ।

सही/-
(श्रीमती मधु तिवारी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला-कोरबा छ०ग
समय - 14:09 बजे ।

सही/-
(श्रीमती मधु तिवारी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला-कोरबा छ०ग

प्रारंभ - 12:05 बजे ।

Witness No. **22** for अभियोजन साक्ष्य Deposition taken

the **12-04-2024** day of शुक्रवार Witness's **64 वर्ष** apparent age

State on affirmation शपथपूर्वक my name is डॉ० बी० आर० रात्रे

S/of श्री रामचरण रात्रे occupation चिकित्सा अधिकारी
address सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटघोरा, जिला-कोरबा छ०ग० ।

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री अशोक आनंद ए०पी०पी० वास्ते अभियोजन

4. मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटघोरा में वर्ष 2005 से अभी तक चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत हूँ ।
5. दिनांक 16-08-2022 को थाना कुसमुंडा के अपराध क्रमांक 250/2022 अन्तर्गत धारा 302 भा०दं०वि० के प्रकरण में थाना प्रभारी कुसमुंडा के द्वारा आरोपी अमन कुमार दास का रक्त नमूना हेतु मेरे समक्ष लाया गया था तब मैंने आरोपी अमन कुमार दास का 05 एम०एल० ब्लड नमूना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटघोरा में साक्षियों के समक्ष लिया था जिसे निरीक्षक के द्वारा साक्षियों के समक्ष मुझसे जप्त कर जप्ती पत्रक प्र०पी० 19 तैयार किया था जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री निजामुद्दीन अंसारी अधिवक्ता वास्ते आरोपी

6. कुछ नहीं ।

समय - 12:18 बजे ।

गवाह को बयान पढ़कर सुनाया गया ।
गवाह ने सही होना स्वीकार किया ।

सही/-

(श्रीमती मधु तिवारी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला-कोरबा छ०ग०

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया ।

सही/-

(श्रीमती मधु तिवारी)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
कटघोरा, जिला-कोरबा छ०ग०